"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका खरसिया जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	चन्दन ताल राम मंदिर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	4	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	संत कबीर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	वीर सावरकर वार्ड
		5	शहीद भगत सिंग वार्ड
		10	श्याम मंदिर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	पण्डित दीनदयाल वार्ड
		17	ठाकुर देव वार्ड
7.	महिला वर्ग	12	संत कंवर राम वार्ड
		16	महाराज अग्रसेन वार्ड
		18	महात्मा गांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-87/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-87/2014/18 (1) दिनांक 07-11-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Kharsia, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	8	Chandantaal Ram Mandir Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	4	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	7	Sant Kabir Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nill

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	1	Veer Sawarkar Ward
		5	Shahid Bhagat Sing Ward
		10	Shyam Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Pt. Deendayal Ward
		17	Thakur Deo Ward
7.	Female	12	Sant Kanvar Ram Ward
		16	Maharaj Agrasen Ward
		18	Mahatma Gandhi Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	रेल्वे लाईन पारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	11	कोकड़ी तराई पूर्व वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	कोकड़ी तराई पश्चिम वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	केबिन पारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	विजय नगर पूर्व वार्ड
		8	नान्हू नगर वार्ड
		9	उच्चभट्ठी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	इन्दिरा आवास वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	शौकी नगर वार्ड
		13	किरोड़ीमल नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (2) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kirodimal Nagar, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	14	Railway Line Para Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	11	Kokdi Tarai East Ward
3.	Scheduled Tribes	12	Kokdi Tarai West Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Cabin Para Ward
5.	Other Backward Class	6	Vijay Nagar East Ward
		8	Nanhu Nagar Ward
		9	Uchchabhitthi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Indira Awas Ward
7.	Female	5	Shouki Nagar Ward
		13	Kirodimal Nagar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पुसौर, जिला–रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	मां समलाई वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	6	गायत्री मंदिर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	7	मां शवरी देवी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	बजरंगबली वार्ड
		5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		11	हनुमान मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	मां रामचण्डी वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	गरूण वार्ड
		13	मां बुढ़ीमाई मंदिर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप- सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (3) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pusour, Distt. **Raigarh is published** as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for **Scheduled Castes**, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under **section 11 of the** Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of **Chhattisgarh** Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	14	Baba Sahib Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Maa Samlai Ward
3.	Scheduled Tribes	6	Gayatri Mandir Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	7	Maa Shabri Devi Ward
5.	Other Backward Class	4	Bajrangbali Ward
		5	Chandrashekhar Azad Ward
		11	Hanuman Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Maa Ramchandi Ward
7.	Female	2	Garurh Ward
		13	Maa Burhimai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत बरमकेला, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	महाराणा प्रताप वार्ड
		14	नेहरू वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	शिवाजी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	दयानन्द सरस्वती वार्ड
		4	दुर्गा वार्ड (चनामुड़ा)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	भगत सिंग वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	लक्ष्मीवाई वार्ड
		7	इन्दिरा वार्ड
		8	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7.	महिला वर्ग	9	गांधी वार्ड
		11	रवीन्द्र नाथ टैगोर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (4) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Baramkela, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	13	Maharana Pratap Ward
		14	Nehru Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Shivaji Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Dayanand Saraswati Ward
		4	Durga Ward (Chana Muda)
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Bhagat Sing Ward
5.	Other Backward Class	5	Laxmibai Ward
		7	Indira Ward
		8	Subhash Chandra Bose Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Swami Vivekanand Ward
7.	Female	9	Gandhi Ward
		11	Ravindra Nath Taigore Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत सरिया, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		13	सरदार वल्लभ भाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	स्वामी दयानन्द सरस्वती वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		8	पण्डित दीनदयाल वार्ड
		9	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	इन्दिरा गांधी वार्ड
		12	महात्मा गांधी वार्ड
		14	महाराणा प्रताप वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (5) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(5).— the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Sariya, Distt. Raigarh** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	15	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	4	Subhash Chandra Bose Ward
		13	Sardar Vallabh Bhai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Swami Dayanand Saraswati Ward
5.	Other Backward Class	2	Rani Laxmi Bai Ward
		8	Pt. Deendayal Ward
		9	Ravindra Nath Taigore Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Swami Vivekanand Ward
7.	Female	10	Indira Gandhi Ward
		12	Mahatma Gandhi Ward
		14	Maharana Pratap Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18(6) .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	इन्दिरा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	4	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		3	महात्मा गांधी वार्ड
		12	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	14	गुरूनानक देव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		7	लोकमान्य तिलक वार्ड
		15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
7.	महिला वर्ग	9	शिवाजी वार्ड
		10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (6) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(6).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gharghoda, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	8	Indira Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	4	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Swami Vivekanand Ward
		3	Mahatma Gandhi Ward
		12	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	14	Gurunanak Deo Ward
5.	Other Backward Class	5	Lal Bahadur Shastri Ward
		7	Lokmanya Tilak Ward
		15	Dr. Rajendra Prasad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	13	Ravindra Nath Taigore Ward
7.	Female	9	Shivaji Ward
		10	Chandrashekhar Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत धर्मजयगढ़, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	तुर्रा पारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	पीपरमार वार्ड
		13	झूलनवर वार्ड
		14	कोदवारी पारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	8	संतोष नगर वार्ड
		15	चिकटवानी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	सिविल लाईन वार्ड
		6	कचहरी वार्ड
		11	राम मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	धरमजयगढ़ कालोनी वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	शाहपुर कालोनी वार्ड
		10	तेन्दुमार वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (7) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(7).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat **Dharmajaigarh**, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika **(Reservation** of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) **Rules,** 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	4	Turrapara Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	3	Peeparmar Ward
		13	Jhulanvar Ward
		14	Kodwari Para Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	8	Santosh Nagar Ward
		15	Chiktavani Ward
5.	Other Backward Class	5	Civil Line Ward
		6	Kachaheri Ward
		11	Ram Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Dharmajaigarh Colony Ward
7.	Female	2	Shahpur Colony Ward
		10	Tendumar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत लैलूंगा, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	7	मुख्य बस्ती पश्चिम वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	8	बेहरापारा वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	जूनाडीह वार्ड.
		5	राम नगर वार्ड
		12	शांति नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	हाईस्कूल पारा वार्ड
		15	भदरापारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	बाजारा पारा वार्ड
		11	मुख्य बस्ती पूर्व
		14	मंगल भवन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	बुढ़ीकूटेन वार्ड
7.	महिला वर्ग	13	रावतपारा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (8) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(8).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Lailunga, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	7	Mukhya Basti West Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	8	Behra Para Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Junadeeh Ward
		5	Ram Nagar Ward
		12	Shanti Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	High School Para Ward
		15	Bhadra Para Ward
5.	Other Backward Class	9	Bazar Para Ward
		11	Mukhya Basti East Ward
		14	Mangal Bhawam Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Budhi Kuten Ward
7.	Female	13	Rawat Para Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87/2014/18 (9).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम रायगढ़, जिला– रायगढ़ के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	29	जेलपारा वार्ड
		31	मिट्ठुमुड़ा वार्ड
		33	गांधी नगर वार्ड
		37	भजनडीपा वार्ड
		38	देवारपारा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	4	जगतपुर वार्ड
		11	जोगीडीपा वार्ड
		36	राजीव गांधी नगर नवापारा वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	अम्बेडकर वार्ड
		41	छातामुड़ा सहदेव पाली वार्ड
		47	विजयपुर गोवर्धनपुर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	5	दीनदयाल वार्ड
		46	उर्दना, कृष्णापुर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	धांगरडीपा वार्ड
		6	ढीमरापुर वार्ड
		9	चांदमारी वार्ड
		20	जूना बड़पारा वार्ड
		28	पंजरीप्लांट वार्ड
		30	बाजीराव पारा वार्ड
		32	फट्हामुड़ा वार्ड
		48	बोईरदादर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	मधुबनपारा वार्ड
		13	गांजा चौक वार्ड
		15	दरोगापारा वार्ड
		44	पतरापाली वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	इंदिरानगर वार्ड
		8	रियापारा वार्ड
		12	रामगुड़ीपारा वार्ड
		19	भुपदेव गंज वार्ड
		21	बेलादुला वार्ड
		24	बिनोवा नगर वार्ड
		45	भगवानपुर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–87 / 2014 / 18 (9) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-87/2014/18(9).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Raigarh, Distt. Raigarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	29	Jailpara Ward
		31	Mitthumuda Ward
		33	Gandhinagar Ward
		37	Bhajandeepa Ward
		38	Dewarpara Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	4	Jagatpur Ward
		11	Jogidipa Ward
		36	Rajeev Gandhi Nagar Nawapara Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Ambedkar Ward
		41	Chhatamuda Sahdev Pali Ward
		47	Vijaypur Goverdhanpur Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	5	Deendayal Ward
		46	Urdana Krishnapur Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	2	Dhangardeepa Ward
		6	Dhimrapara Ward
		9	Chandmari Ward
		20	Juna Badapara Ward
		28	Panjari Plant Ward
		30	Bajirao Para Ward
		32	Fatthmuda Ward
		48	Boirdadar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Madhuban Para Ward
		13	Ganja Chowk Ward
		15	Darogapara Ward
		44	Patrapali Ward
7.	Female	7	Indira Nagar Ward
		8	Riyapara Ward
		12	Ramgudipara Ward
		19	Bhupdeo Ganj Ward
		21	Beladula Ward
		24	Binova Nagar Ward
		45	Bhagwanpur Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.